निर्वाचन का संचालन नियम, 1961 (कानूनी नियम और आदेश) प्रारूप 21ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिये जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

उत्तराखण्ड राज्य के 10-देवप्रयाग विधानसभा निर्वाचन-क्षेत्र से विधानसभा के लिये निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में मै घोषणा करती हूँ, कि--

श्री विनोद कण्डारी, ग्राम-मलेथा, पो०ओ०-मलेथा, तहसील-कीर्तिनगर, जिला-टिहरी गढ़वाल जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किये गए थे।

उपर्युक्त निवार्चन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए है।

स्थान- नई टिहरी। तारीख- 10-03-2022

रिटर्निंग ऑफिसर,

10-देवप्रयाग विधान सभा निर्वासम क्षेत्र। (ज्यन्बिलाधिकारी कीर्तिनगर) 10-रेबप्रयाग विचान सभा क्षेत्र

Conduct of Elections Rules, 1961

(Statutory Rules And Order)
FORM 21C

(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

*Election to the Legislative Assembly of <u>Uttarakhand</u> from <u>10-Deoprayag</u> Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that-

Vinod Kandari

vill and p.o. - maletha, tehsil-kirtinagar, distt - tehri garhwal [sponsored by **Bharatiya Janata Party**] has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place: New Tehrs Date: 10-03-2022

(Sonia Pant)
Returning Officer
010-Deoprayag
Legislative Assembly Constituency